

(5)

(27)

(3)

गृह्य प्रदेश शासन

स्कूल शिक्षा विभाग

मंत्रालय

वल्लभ भवन, भोपाल - 462004
= = = = = = = = = =

क्रमांक- सफ 73- २१ / 20-3/2004

भोपाल, दिनांक - ६ जून, २००५

प्रति,

सचिव,

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
प्रीत विहार, नई दिल्ली ।

विषय :- अशासकीय कर्तव्य-के उन्नतरेशानल स्कूल, दी-ए एवं सुलभीहर भोपाल को सो. बो. सत. ई. / अप्रैल-मई-जून से सम्बद्धता हेतु सन. अ. सो. देने बाबत ।

== 00 ==

राज्य शासन द्वारा अशासकीय कर्तव्य-के उन्नतरेशानल स्कूल, दी-ए सुलभीहर-भोपाल को सो. बो. सत. ई. / अप्रैल-मई-जून से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र विशेष प्रकरण मानकर निम्नलिखित जातों पर दिया जाता है :-

01. संस्था को अपनी कार्य समिति में एक प्रतिनिधि जिला शिक्षा अधिकारी को स्वयं को या उनके प्रतिनिधि को जामिल करना होगा तथा दूसरे प्रतिनिधि के रूप में माध्यमिक शिक्षा मण्डल के पंजोयक प्रतिनिधि को या उनके प्रतिनिधि को जामिल करना अनिवार्य है ।
02. नोतिगत निर्णयों में इन दोनों मनोनीत सदस्यों को आमंत्रित करना होगा ।
03. मध्यप्रदेश शासन द्वारा शिक्षा के प्रचार-प्रसार के लिए लिये गए निर्णयों में यदि संत्था से किन्हीं कार्यों को अपेक्षा को जाते हैं तो ऐसे कार्यों को संस्था को करना होगा ।
04. खेलगृह गतिविधियों में यदि संस्था चाहे तो सदस्यता ग्रहण कर सकता है । परन्तु ऐसा न होने पर भी यदि मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग को इनके किती खेल परिसर या भवन को आवश्यकता पड़तो है तो उपलब्ध कराना होगा ।

1121

05. राष्ट्रीय कार्यक्रमों को संदर्भित करने के लिए यदि संस्था पा
श्वन पा तटाक को तेवामों को मावश्यकता होगी तो उन्हें
उपलब्ध कराना होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुकार

आर. आर. अहिरवार
अलंक तर्जन

म०५० शासन, सूल विभाग.

पृ. क्र. नं. 73 - २१ /20-३/२००५ भोपाल, दिनांक - ₹ २००५

दृष्टिकोण :-

1. आदान, लोक विभाग, माध्यमिक विभाग।

2. जिला विभाग अधिकारी, विभाग - मीमांस।

3. प्राचार्य, विभाग अधिकारी इन्स्ट्रैनिंग सूल, मीमांसा गुलाहर, मीमांस।
को ओर प्राचार्य एवं आनंद कार्यकारी हेतु अधिकारी।

आर. अहिरवार

६६८५

म०५० शासन, सूल विभाग.

६६८५

1121

30.12.05